प्रकरण संख्या 10/2022 कालूलाल बनाम श्रीमती कंचनबाई

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मादा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के शामलाती खाता संख्या 123 की आराजी नंबर 123, 124, 125, 317, 729, 730, 731, 750 से 754, 759 व 760 कुल किता 14 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा स्थित है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज है। भूमि शामलाती होने से ऋण लेने एवं लगान भरने में असुविधा होती है तथा अनावश्यक विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का हिस्से एवं कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर वादी का 1/6 हिस्सा स्वतंत्र रूप से अंकित किये जाने आदेश फरमावें। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.08.2014 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 21.09.2015 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 08.04.2022 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 25.02.2022 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी की है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। पटवारी हल्का ने सिर्फ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 10/2022 कालूलाल बनाम श्रीमती कंचनबाई

वादी के कब्जे के संबंध में ही रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रखी आराजियात का भी विधिवत विभाजन करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2021(1) डी.एन.जे. पेज 258, 2021(2) डी.एन.जे. पेज 1084 एवं 2021(2) डी.एन.जे. पेज 876 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उक्त फर्द बंटवारे पर सभी पक्षकार के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.09.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार देवगढ़ स्वयं मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवारे पर पक्षकारान को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 24.03.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भा.प्र.से.–प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त अपील अधिकारी
उदयपुर